मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र0 587/587/2017/ब–1/चार, भोपाल, दिनांक 25/05/2018

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय,भोपाल ।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :– वित्तीय वर्ष के अंतर्गत बजट आवंटन, व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना तथा चेक्स/देयकों के आहरण के संबंध में जारी पत्रों के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भः–
1. इस विभाग का पत्र कंमाक 416/1374/17/ब–1/चार दिनांक 31/03/2018।
2. इस विभाग का पत्र कंमाक 445/587/17/ब–1/चार दिनांक 09/04/2018।
3. इस विभाग का पत्र कंमाक 467/587/17/ब–1/चार दिनांक 20/04/2018।
4. इस विभाग का पत्र कं.एल 1–10/832/17/ब–7/डी.एम. सी./चार, दिनांक 10/04/2018।
5. इस विभाग का पत्र कमांक:544/59/18/ब–1/चार, दिनांक 04/05/2018.

––––

संदर्भित पत्र कंमाक–1 द्वारा वर्ष 2018–19 बजट के लिये आवंटन की संसूचना जारी की गई है । संदर्भित पत्र कंमाक–2 एवं 3 के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा व्यय सीमा तथा विभिन्न मदों के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले उददेश्य शीर्षो एवं विस्तृत शीर्षों के संबंध में समय–समय पर पृच्छा की गई है। संदर्भित पत्र कमांक–4 द्वारा राज्य शासन के कोष से बड़ी राशि के देयकों के आहरण के संबंध में वित्त विभाग से पूर्व अनुमति के प्रावधान किये गये है । संदर्भित पत्र कमांक–5 द्वारा निर्माण विभागों के अंतर्गत पूँजीगत व्यय हेतु सीमा निर्धारित की गई है ।

2. इस पत्र द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा जारी निर्देशों को समाहित करते हुए समग्र रूप से मार्गदर्शी निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

3. प्रशासकीय विभागों द्वारा किये जा रहे विभागीय व्ययों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:–

(क) सामान्य श्रेणी के व्यय (ऐसे समस्त व्यय जो 'मुक्त' श्रेणी–अधोलिखित कण्डिका (ख)–में वर्गीकृत न हो)

(ख) 'मुक्त' श्रेणी के व्यय – ऐसे व्यय जिन्हें वर्तमान में मासिक/त्रैमासिक/विशेष व्यय सीमा से मुक्त रखा गया हो।

4. सामान्य श्रेणी के व्ययों के लिए व्यय सीमा निर्धारित करने के लिये निम्न तीन प्रकार के नियंत्रण हो सकते हैं:–

(क) विशेष व्यय सीमा

(ख) मासिक व्यय सीमा

(ग) त्रैमासिक व्यय सीमा

4.1 जब तक विशेष व्यय सीमा नियत करने संबंधी आदेश, यदि कोई हो, में अन्यथा उल्लिखित न हो, सामान्य श्रेणी के व्ययों पर मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमाएं, दोनों पृथक पृथक लागू होंगी।

4.2 **विशेष व्यय सीमा**

वित्त विभाग द्वारा मासिक अथवा किसी अन्य अवधि हेतु विशेष व्यय सीमा निर्धारित की जा सकती है। यह विशेष व्यय सीमा मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के साथ साथ, या उनके स्थान पर लागू की जा सकती है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्माण विभागों के लिये संदर्भित पत्र कमांक 5 द्वारा कतिपय व्यय शीर्षो के लिये नियत व्यय सीमा मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमाओं के स्थान पर

लागू मानी जाएंगी; अर्थात् उक्त पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान उल्लिखित व्यय शीर्षों पर केवल उल्लिखित व्यय सीमा लागू होगी, मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमाएं लागू नहीं होंगी ।

4.3 मासिक व्यय सीमा

वर्तमान में मासिक व्यय सीमा प्रत्येक स्तर (मुख्य शीर्ष से लेकर विस्तृत शीर्ष तक) पर लागू है। इस पत्र के जारी होने के दिनांक से मासिक व्यय सीमा बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) स्तर पर लागू होगी।

मासिक व्यय सीमा, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध शेष वार्षिक आवंटन की 10 प्रतिशत राशि होगी । निर्धारण का आधार परिशिष्ठ–2 में दर्शाया गया है ।

4.4 त्रैमासिक व्यय सीमा

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर शेष वार्षिक आवंटन के आधार पर किया जायेगा । प्रथम दो त्रैमास में अधिकतम 45 प्रतिशत, प्रथम तीन त्रैमास में अधिकतम 70 प्रतिशत, तथा (केवल) चतुर्थ त्रैमास हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है । निर्धारण का आधार परिशिष्ठ–3 में दर्शाया गया है ।

त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर (उद्देश्य शीर्ष स्तर तक) पर लागू होगी ।

4.5 मासिक/त्रैमासिक सीमा में परिवर्तन

अनुपूरक बजट प्रावधानों को शामिल करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा परिवर्तित हो सकती है ।

यदि एक BCO दूसरे BCO को राशि हस्तांतरित करता है, तो दूसरे BCO द्वारा हस्तांतरित राशि में से किए गए व्यय को, पहले BCO की मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के अंतर्गत माना जाएगा।

यदि पुनर्विनियोजन द्वारा बजट शीर्षों में उपलब्ध आवंटन में परिवर्तन होता है तो उपरोक्त गणना अनुसार मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन हो सकता है ।

5. मुक्त श्रेणी के व्यय

वेतन–भत्ते–मजदूरी/न्यायालयीन डिकी /छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति /प्राकृतिक आपदा/ ऋण अदायगी आदि अतिआवश्यक व्ययों को मुक्त श्रेणी के व्यय में सम्मिलित किया गया है । ऐसे व्ययों पर मासिक /त्रैमासिक/विशेष व्यय सीमा लागू नहीं होगी । इस श्रेणी में सम्मिलित व्यय परिशिष्ठ–1 में दर्शायें गये है ।

6. संदर्भित पत्र कंमाक–4, जिसके द्वारा कोष देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में सीमा निर्धारित की गई है, यह निर्देश दोनों श्रेणियों के व्यय (सामान्य एवं मुक्त श्रेणी) पर लागू होगा। केन्द्र सहायित योजनाओं हेतु रू.100 करोड़ तथा शेष योजनाओं हेतु रू. 25 करोड़ की सीमा यथावत् लागू रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

25/5/18

(तेजस्वी नायक)
संचालक बजट एवं उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग

पृ.क0 584/587/2017/ब–1/चार, भोपाल, दिनांक 25/05/2018

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता /उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र.ग्वालियर/भोपाल।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
10. आयुक्त, जनसम्पर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

25/5/2018

(रूपेश कुमार पठवार)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त
विभाग

मुक्त श्रेणी के व्यय

	व्यय का प्रकार	बजट शीर्ष
(क)	जहॉ केन्द्रांश प्राप्त होने पर केन्द्रांश एवं राज्यांश आहरण एवं व्यय किया जाता है।	• केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सेगमेंट कोड–701, 702 एवं 703) • केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं (सेगमेंट कोड–801, 802 एवं 803)
(ख)	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के सभी मद।	• उददेश्य शीर्षः–# 41
(ग)	जहॉ अनुदान से किसी संस्था में वेतन/भत्तों/ छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति का भुगतान होता हो।	• उददेश्य शीर्षः–# 42, विस्तृत शीर्षः–002(# 42-002) मांग संख्या–53, मुख्य शीर्ष–2202, योजना कमांक–8403, 2773, 3496,9416, 0581 एवं 5216 के अन्तर्गत • उददेश्य शीर्ष :–# 42, विस्तृत शीर्षः– 009 (# 42-009)।
(घ)	जहॉ व्यय किसी घटना पर आधारित हो (जैसे– प्राकृतिक–आपदा, आरबीसी 6(4) के तहत भुगतान, राहत राशियां इत्यादि)	• मांग संख्या--58
	अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा	• मांग संख्या–33, मुख्य शीर्ष 2225, योजना कमांक– 5191 • मांग संख्या–49, मुख्य शीर्ष 2225, योजना कमांक– 5191
(ड.)	न्यायालयीन आदेश/ डिकी से संबंधित भुगतान	• उददेश्य शीर्षः– # 53
(च)	शासन की ऐसी देयताएं, जहॉ निर्धारित तिथि को ही भुगतान होता है। (जैसे–ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं Annuity राशियां)	• मांग संख्या– . (Dot) • मांग संख्या–.. (Double Dot) • मांग संख्या–11, • मुख्य शीर्ष–4851 एवं 4875, योजना कमांक –7341 एवं 7879 उद्देश्य शीर्ष –# 68
(छ)	वैवेकिक अनुदान	• मांग संख्या–1, • मुख्य शीर्ष–2012 एवं 2013 उद्देश्य शीर्ष–# 44 योजना कं0–5839, 9060, 9064 एवं 9939 • मांग संख्या–24, मुख्य शीर्ष–5054, योजना कं.–8738 उद्देश्य शीर्ष–# 68

	व्यय का प्रकार	बजट शीर्ष
	स्वेच्छा अनुदान निधि (सांसद/ विधायक)	• मांग संख्या–60, मुख्य शीर्ष–2515, योजना कं0–1954 एवं 5272, उद्देश्य शीर्ष–# **44**
(ज)	स्थापना व्यय	• उद्देश्य शीर्ष– # 11,12,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26 • उद्देश्य शीर्ष–# 22, विस्तृत शीर्ष–001,002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 014
(झ)	वित्त विभाग के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित मुक्त श्रेणी के अन्य व्यय	

मासिक व्यय सीमा का निर्धारण

मासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगाः–

(A)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटौत्री उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
(B)=(A) में से घटाये –	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध उपरोक्त बजट आवंटन में से कंडिका 3 (ख) अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय
(C)=(B)में से घटाये –	कंडिका 4.2 के अनुसार विशेष व्यय सीमा (यदि कोई हों) हेतु उल्लिखित बजट शीर्षों, जिन्हें मासिक व्यय सीमा से छूट प्राप्त हो, का कुल आवंटन

उपरोक्त (C) राशि का 10 प्रतिशत मासिक व्यय सीमा होगी।

<u>परिशिष्ठ–3</u>

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगाः–

(A)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटौत्री उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
(B)=(A) में से घटाये –	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध उपरोक्त बजट आवंटन में से कंडिका 3 (ख) अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय
(C)=(B)में से घटाये –	कंडिका 4.2 के अनुसार विशेष व्यय सीमा (यदि कोई हों) हेतु उल्लिखित बजट शीर्षों, जिन्हें त्रैमासिक व्यय सीमा से छूट प्राप्त हो, का कुल आवंटन

त्रैमासिक व्यय सीमा निम्न तालिकानुसार लागू होगीः–

अवधि/त्रैमास	उपलब्ध आंवटन (उपरोक्त C राशि) के विरूद्ध अधिकतम व्यय सीमा
Q1+Q2	45%
Q1+Q2+Q3	70%
Q4 (केवल)	30%